

18/3/25

उभयपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कई बार
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फौसला शुमार न. से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

✓

क्रमांक ०५। तत्पश्चात् न्यायालय प्राधिकार
सिद्धांत प्रमाणित करने के लिए प्रत्येक
पक्ष को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।